

प्र० क० विविध - एक/16

दि/दि १०५१- ५-१६

श्री. व. व. राजनी वशिष्ठ शर्मा
द्वारा आज दि. ५/५/१६ को
प्रस्तुत

कौशल्या आदि — आवेदिकगण

विरुद्ध

म० प्र० शासन

— अनावेदक

वकील ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

R.V. Sharma

मूल-सुधार वावत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 32, म० प्र० मू-राजस्व संहिता, 1959

श्रीमान महोदय,

आवेदकगण की ओर से निम्न प्रार्थना है कि :-

1- यह कि, श्रीमान न्यायालय द्वारा निगरानी प्रकरण क्रमांक 545-दो/16 में दिनांक 16.02.16 को अंतिम आदेश पारित किया गया है, जिसमें भूलवश टंकण की त्रुटि से आदेश के पृष्ठ क्रमांक 2 के पैरा 2 के लाइन नं. 3 खसरा नं. 5192 में के स्थान पर 5792 टंकित हो गया है ।

अतः मान० न्यायालय से प्रार्थना है कि उक्त आदेश के पृष्ठ क्रमांक 2 के पैरा 2 के लाइन नं. 3 में संशोधन कर खसरा नं. 5792 के स्थान पर खसरा नं. 5192 करने की कृपा करें ।

इति दिनांक 05/04/16

स्थान- ग्वालियर

R.V.

द्वारा अभिभाषक

R.V. Sharma
राजनी वशिष्ठ शर्मा


एडवोकेट

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक विविध 9041-दो/16

जिला -सागर

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभि. एवं आवेदक के हस्ताक्षर
7-4-16	<p>आवेदक के अधिवक्ता श्रीमती रजनी वशिष्ठ शर्मा उपस्थित होकर भूल सुधार आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 32 म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 के अंतर्गत प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि निगरानी प्र0क0 871-दो/16 में पारित आदेश दिनांक 14.3.16 में भूलवश टंकण की त्रुटि से आदेश के पृष्ठ क्रमांक 1 के पैरा-3 लाईन न0 2 में 24.05.2009 के स्थान पर 24.05.2003 टंकित हो गया है।</p> <p>2- आवेदक के अधिवक्ता का निवेदन स्वीकार किया जाता है तथा आदेश के पृष्ठ क्रमांक-1 के पैरा-3 के लाईन न0 2 दिनांक 24.5.2003 के स्थान पर दिनांक 24.5.2009 पढ़ा जावे। यह आदेश पत्रिका मूल आदेश का अंग मानी जावेगी।</p>	



सदस्य